## कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
## सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।

### ई–निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर द्वारा गीडा कार्यालय भवन में 10 एम0बी0पी0एस0 (1:1) बैन्डविथ की लीज लाईन कनेक्शन (फाईबर लिंक) लिया जाना हैं। जिसके लिये अधिकृत फर्म/कार्यदायी संस्था/फ्रेनचाइजी/आपूर्तिकर्ताओं से ऑनलाईन आईटम दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–बिड सिस्टम से दिनांक 05–04–2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 14–04–2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक 14–04–2018 को अपरान्ह 3.00 बजे गीडा कार्यालय भवन में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं का फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस/बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों सहित निविदा वेबसाईट http://etender.up.nic.in के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर दिखायी देगी एवं उसी पर अपलोड, डाउनलोड की जायेगी।

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | अधिकतम आरक्षित दर (जी0एस0टी0सहित) | धरोहर धनराशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0सहित) | कार्यावधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalation of 10 Mbps (1:1) leased line (Fiber Link) in GIDA Office, Sector-7, Gida, Gorakhpur. | 8,20,000 | 82,000/- | 1180/- | 30 days |

नियम एवं शर्तेः–

1.

(क) बिड डाक्युमेन्ट **http://etender.up.nic.in** पर दिनांक 05–04–2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 14–04–2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। निविदा (बिड) **http://etender.up.nic.in** पर ही सबमिट किया जायेगा।

(ख) **टेक्निकल बिड दिनांक 14–04–2018 को अपरान्ह 3.00 बजे** गीडा कार्यालय, सेक्टर–7 में खोली जायेगी। निविदा खुलने की तिथि पर कार्यालय बन्द होने या अवकाश या इण्टरनेट/तकनीकी/बाधित होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।

(ग) ऑन लाईन निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट अथारिटी द्वारा जारी डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट का होना तथा ई–टेन्डर वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

(घ) निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र ऑनलाईन निविदा भरते समय पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :–

(1) निविदा मूल्य सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति।

(2) बिड की धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की प्रति।

(3) प्रत्येक बिड्स के साथ निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारुप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।

(4) जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) फर्म का कम से कम दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर।

(6) पैन कार्ड एवं अद्यतन आईटीआर।

(7) अन्य सभी आवश्यक प्रपत्र।

2 उपरोक्त कमांक 1 (घ) में उल्लिखित प्रपत्र का ऑनलाईन अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा नान–रिसपान्सिव घोषित कर दी जायेगी।

3 निविदा की वैद्यता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी0डी0 के रुप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा तथा धरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल रुप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक हो एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैद्यता निविदा तिथि से 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

4 निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी के लिये गीडा कार्यालय, सेक्टर–7 से किसी भी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

5 विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन–लाईन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रकिया ऑन–लाईन शुरु होने के पश्चात किसी भी निविदा के सम्बन्ध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑन–लाईन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रकिया शुरु होने के पश्चात ऑन–लाईन निविदा के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्वि पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

6 प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं सभी प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर सहित ठीक–ठीक उपलब्ध कराये गये है या नही, इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की

स्थिति में निविदादाता की बिड को Unresponsive मानते हुये कोई विचार नही किया जायेगा।

7 निविदा प्रपत्र, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य धनराशि एवं अन्य अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र मूल रुप से निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

8 निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुये धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

9 फर्म द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि का अधिकार नियमानुसार स्वीकृत टेन्डर धनराशि का एक प्रतिशत अर्थदण्ड लगाते हुये, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

10 निविदत्त कार्य की वार्षिक अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुनः टेन्डर न होने की स्थिति में फर्म द्वारा निविदा में डाले गये दर पर ही आगे अनुरक्षण कार्य करना होगा।

11 नियम एवं मुख्य शर्ते सम्बन्धी प्रपत्र संख्या टी–2 पर निविदादाता का सहमति स्वरुप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

12 फर्म का गत दो वर्षो में न्यूनतम टर्न ओवर रु0 4.10 लाख प्रतिवर्ष होना अनिवार्य हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के बैलेन्स शीट की प्रति सी0ए0 द्वारा प्रमाणित तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाये।

13 आपूर्तिकर्ता को स्वंय के व्यय से कार्यादेश प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर नियत मूल्य के स्टैम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14 फर्म/निविदा दाता को गीडा द्वारा आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इसके लिये अनुबन्ध के समय निर्धारित प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराना होगा।

15 10 एम0बी0पी0एस0 लीज लाईन इन्टरनेट में डाउनलोड/अपलोड करने की स्पीड एवं तकनीकी गडबडी होने पर कार्यदायी संस्था को गीडा द्वारा सूचित करने पर तत्काल एक कार्यालय दिवस में ठीक करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 500.00 प्रतिदिन के दर से अर्थदण्ड फर्म द्वारा देय होगा।

16 फर्म/निविदादाता द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर देयक से दण्ड स्वरुप धनराशि कटौती किये जाने, अनुबन्ध निरस्त किये जाने एवं भविष्य के लिये गीडा में कार्य करने से प्रतिबन्धित किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

17 किसी भी विवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का ही निर्णय अन्तिम होगा।

18 निर्धारित शर्तो के अनुसार डाली गयी निविदा पर ही विचार किया जायेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक // /कम्प्यूटर–11/32/2018–19 दिनांक 03 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि–1. सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर), गीडा को इस आशय से प्रेषित की गीडा के वेबसाईट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2. निविदा समिति, ई–टेन्डर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. गीडा/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

2/4/18
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

Sri Sarma
E - Sri Hari Singh, G-mail
ur acmin Website we avails
S.Sh
4/4/18